सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00120

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 32/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री जीवतराम सिंघी —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 भेली पनीर हाउस, नई तहबाजारी, पदमपुर जिला—श्रीगंगानगर

निवासी :— वार्ड नम्बर 09, स्टेट बैंक के पास पदमपुर, जिला— श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 20.10.2020

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.10.2019 को दोपहर बाद 12.30 बजे श्री प्रवीण खत्री, वरिष्ठ सहायक (यू.डी.सी.) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स भेली पनीर हाउस, नई तहबाजारी, पदमपुर —जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर गोविन्दराम पुत्र श्री जीवतराम सिंघी वार्ड नम्बर 09, स्टेट बैंक के पास पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को पनीर हाउस का मालिक होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर पनीर हाउस का निरीक्षण किया तो एक डीप फ्रिज में रखे एलुमिनियम के 2 भगोनों में लगभग 13 किलोग्राम **पनीर (Paneer)** मिला जिसको आमजन को विक्रय हेतु रखा बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच **K-983** के नमूनीकरण के लिये 1 किलोग्राम **पनीर (Paneer)** खरीदा जिसकी कीमत 280/—रू0 (अखरे रूपये दौ सौ अस्सी मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा गवाहान श्री गुलशन एवं श्री प्रवीण खत्री के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.**RCMS2020/00120**

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता गोविन्दराम पुत्र श्री जीवतराम सिंघी एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा पनीर **(Paneer)** को चूरा कर चार साफ सुखी प्लास्टिक बोतलों में बराबर मात्रा में भरकर एवं परिरक्षक फार्मेलिन की उचित मात्रा मिलाकर ढक्कन बन किया तथा टेप चिपकाकर चार नमूना भाग बनाऐं। इसके बाद इन चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-983** एवं अन्य विवरण दर्ज किया। प्रत्येक नमूना कोड पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **K-983** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं न0 हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच. ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 2338/एक्ट /2019/1873 दिनांक 24.10.2019 **नमूना K-983 पनीर (Paneer)** अमानक स्तर **SUBSTANDAARD** होना पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त गोविन्दराम पुत्र श्री जीवतराम निवासी वार्ड नम्बर 09, स्टेट बैंक के पास पदमपुर, जिला– श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर पनीर **(Paneer)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स भली पनीर हाउस नई तहबाजारी, पदपमुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी छोटा दुकानदार है और प्रार्थी का कार्य क्षेत्र पदमपुर मण्डी में ही है। प्रार्थी फर्म द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अमानक पाये जाने का आरोप लगाकर उक्त नोटिस दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रशनगत पनीर पूर्णतया मानक रूप से तैयार किया गया है तथा दूध से पनीर बनाने पर जो फेट होना चाहिए वह मानक है। अगर पनीर गाय एवं भैंस का दूध मिलाकर बनाया जाता है तो उसमें मानक सही रूप से 50 प्रतिशत मिल्क फेट होगया क्योंकि उक्त पनीर गाय के दूध से बनाया गया है तो फेट जांच रिपोर्ट अनुसार सही है। क्योंकि जांच रिपोर्ट /प्रयोगशाला परिवादी की है । अगर अन्य प्रयोगशाला से जांच करवायी जावे तो वास्तुस्थिति का पता लग सकेगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया पनीर **(Paneer)** का सैम्पल के–983 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 2338/एक्ट/2019/1873 दिनांक 24.10.2019 द्वारा होना **SUBSTANDAARD** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26 (2)(2)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी मैसर्स भली पनीर हाउस नई तहबाजारी, पदपमुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी छोटा दुकानदार है और प्रार्थी का कार्य क्षेत्र पदमपुर मण्डी में ही है। प्रार्थी फर्म द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अमानक पाये जाने का आरोप लगाकर उक्त नोटिस दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रशनगत पनीर पूर्णतया मानक रूप से तैयार किया गया है तथा दूध से पनीर बनाने पर जो फेट होना चाहिए वह मानक है। अगर पनीर गाय एवं भैंस का दूध मिलाकर बनाया जाता है तो उसमें मानक सही रूप से 50 प्रतिशत मिल्क फेट होगया क्योंकि उक्त पनीर गाय के दूध से बनाया गया है तो फेट जांच रिपोर्ट अनुसार सही है। क्योंकि जांच रिपोर्ट /प्रयोगशाला परिवादी की है । अगर अन्य प्रयोगशाला से जांच करवायी जावे तो वास्तुस्थिति का पता लग सकेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 24.10.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 2(2)/51 का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **पनीर (Paneer)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त गोविन्दराम पुत्र श्री जीवतराम सिंधी नमूना विक्रेता एवं मालिक –पर **SUBSTANDAARD** के तहत **पनीर (Paneer)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 के तहत 15,000/–रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **पनीर (Paneer)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **पनीर (Paneer)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।